

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur (Raj.)

Ph.0294-2640188, 7427811222, 7427811444 e-mail:-saras@milkunionudaipur.com

उ.दु.उ.स.सं./विपणन./23-24/ 36/2

दिनांक:- 22/11/23

सरस शॉप एजेंसी पाने हेतु आवेदन

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में निम्न स्थानों/कस्बों पर सरस दूध/दुग्ध उत्पाद विक्रय के लिये शॉप एजेंसी पाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आसपुर, रामगढ़, पुंजपुर, साबला, रिच्छा, निटुआ, पारसोला, नरवाली, लौहारिया, डुगरिया, खमेरा, घाटोल, गनोड़ा, बाँसवाड़ा सिटी, कुशलगढ़, कलीजंरा, बागीदौरा, सज्जनगढ़, बड़ोदिया, देवल, डूंगरपुर सिटी, वर्धा, टामटिया, अगरपुरा, भिलोड़ा, ओबरी, आंत्री, परतापुर, सागवाड़ा इत्यादि।

आवेदन दिनांक 15.12.2023 तक प्रबंध संचालक उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर अथवा मेल आई डी saras@milkunionudaipur.com पर प्रेषित किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी फोन नम्बर 0294-2640188/ वेब साईट www.milkunionudaipur.com से प्राप्त की जा सकती है।

(नटवर सिंह)
प्रबंध संचालक

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर

शॉप एजेन्सी/बूथ आवंटन/पार्लर/हाईवे पार्लर आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान प्रबन्ध संचालक महोदय

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर (राज.)

पासपोर्ट
साईज
स्वप्रमाणित
फोटो

1. नाम पुत्र/पति का नाम

2. वर्तमान व्यवसाय का विवरण/अनुभव :-
.....

2. जन्म तिथि

3. शैक्षणिक योग्यता

4. पहचान पत्र:- वोटर आई डी, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड

6. स्थाई पता

7. स्थानीय पता

7. फोन न० मोबाईल न०.....

8. शॉप एजेन्सी/बूथ/पार्लर का प्रस्तावित स्थान का पूर्ण पता :-
.....

शॉप एजेन्सी/बूथ/पार्लर के प्रस्तावित स्थल के मानचित्र संलग्न करें:-

मुझे उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थों विक्रय व शॉप एजेन्सी/बूथ/पार्लर के संचालन हेतु निर्धारित शर्तें पूर्णरूप से मान्य है तथा मैं इनका नियमित रूप से पालन करूंगा, इसके लिये मैं दुग्ध संघ के साथ अनुबंध करने को तैयार हूँ। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर मेरी एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

एजेंसी हेतु विक्रय प्रतिनिधी की रिपोर्ट

1. प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की दिनांकवापसी जमा दिनांक
2. क्या प्रस्तावित स्थान तक अनुबंधित वाहन जा सकता है - 1- हाँ 2- नहीं
3. क्या प्रार्थी के पास स्टोरेज हेतु कोल्ड चैन की व्यवस्था उपलब्ध है - 1- हाँ 2- नहीं
4. प्रस्तावित स्थल के पास स्थित बूथ/शॉप एजेंसियों/पार्लर का विस्तृत विवरण -

क्र०सं०	बूथ/शॉप एजेंसी का नाम	प्रस्तावित स्थल से दूरी (मीटर)	प्रतिदिन औसत बिक्री (ली०)
1.			
2.			
3.			

5. प्रार्थी श्री/श्रीमति का नाम पुत्र/पति..... से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर विक्रय स्थान का निरीक्षण कर लिया गया। साथ ही इनके द्वारा प्रेषित वांछित दस्तावेज, जानकारी एवं पता जो आवेदन प्रपत्र में वर्णित है, का पूर्ण निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

विक्रय प्रतिनिधी (रूट एफ०एस०आर०)

एजेंसी आवंटन की स्वीकृति हेतु:-

प्रार्थी श्री/श्रीमति का नाम पुत्र/पत्नी को विक्रय प्रतिनिधी की रिपोर्ट के आधार पर खुदरा विक्रेता नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इनसे रु..... अमानत राशि के रूप में जमाकर इनको उपरोक्त आवेदन स्थल हेतु (अहस्तान्तरित एवं अस्थानान्तरित) खुदराविक्रेता शॉप का आवंटन कर दुग्ध सप्लाय चालू करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

प्रभारी (विपणन)

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रार्थी श्री/श्रीमति का नाम पुत्र/पत्नीद्वारा अमानत राशि रुपये रसीद संख्यादिनांक से जमा कराये जाने के उपरान्त इन्हें खुदरा विक्रेता शॉप का आवंटन शॉप/बूथ एजेंसी (कोड सं०.....) नाम से किया गया है। सरस एजेंसी को दिनांक प्रातः/सायं से वर्तमान रूट सं० के नियुक्त अनबुधक मैसर्सके खाते से दुग्ध सप्लाय नियमित रूप से भिजवायी जानी है।

प्रभारी (विपणन)

सप्लाई संबंधित विशेष दिशा-निर्देश:-

1. डिमांड, विपणन विभाग द्वारा प्रेषित डिमांड स्लिप में ही भरकर भिजवायें फोन पर केवल डिमांड बढ़ाने हेतु संपर्क किया जावे। डिमांड 1 क्रेट (12 ली0) के गुणनफल में ही भेजी जावेगी।
2. प्रतिदिन डिमांड सप्लाई से संबंधित विवरण वाहन चालक से प्राप्त कर दुग्ध विक्रय राशि का भुगतान संबंधित अनुबंधक को (संघ द्वारा तय व्यवस्था अनुरूप) देकर नकद रसीद प्राप्त कर लेवें। बिना रसीद भुगतान मान्य नहीं होगा।
3. दुग्ध विक्रय राशि एवं खाली क्रेट प्रतिदिन तय व्यवस्था अनुरूप जमा नहीं कराने पर अनुबंधक से प्राप्त बाकियात पत्र के आधार पर संघ द्वारा तत्काल बिना पूर्व सूचना दिये सप्लाई रोक दी जावेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी।
4. दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा प्रति माह अपना दुग्ध विक्रय स्टेटमेन्ट प्राप्त कर लेवे। समयावधि पश्चात दुग्ध विक्रय स्टेटमेन्ट दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
5. समय-समय पर एजेंसी कार्य हेतु सूचना/आदेश/सर्कुलर, संबंधित अनुबंधक के वाहन चालक के मार्फत वितरित किये जाते रहेंगे, नहीं प्राप्त होने की स्थिति में अनुबंधक/विक्रय प्रतिनिधी से बिना विलम्ब संपर्क कर प्राप्त कर लेवे।
6. विक्रय राशि एवं खाली क्रेट से संबंधित हिसाब/नोडयूज प्रतिदिन संबंधित अनुबंधक से प्राप्त करना होगा अन्यथा सप्लाई आपूर्ति से संबंधित उत्पन्न विवाद हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होंगे जिसे आपको अपने स्तर पर निस्तारित करना होगा।
7. किसी भी एजेण्ट द्वारा विक्रय राशि एवं खाली क्रेटों की बाकियात रखे जाने पर दुग्ध संघ की नियम एवं शर्तों के तहत संबंधित एजेण्ट से शास्ति एवं बकाया राशि पर ब्याज की वसूली अनुबंधक द्वारा की जा सकेगी इस संदर्भ में संघ में प्राप्त कोई शिकायत/विवाद मान्य नहीं होगी।
8. विक्रय राशि एवं खाली क्रेट बकाया रख एजेंसी बंद कर देने पर व किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त ना किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा एजेंसी निरस्त करते हुए संघ में जमा अमानत राशि व अन्य राशि से विक्रय राशि का भुगतान संबंधित अनुबंधक को कर दिया जावेगा शेष बकाया राशि जमानतदाताओं से वसूलने की कार्यवाही की जावेगी जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. न्यूनतम तादाद (संघ द्वारा निर्धारित मात्रा) में दूध बेचना अनिवार्य होगा अन्यथा एजेन्सी निरस्त कर दी जावेगी।
10. शहरी क्षेत्र की सायंकालीन डिमांड हेतु दोपहर 12.30 बजे से पूर्व एवं प्रातःकालीन डिमांड हेतु सायं 6.00 बजे से पूर्व तथा ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध वितरण मार्ग के एजेण्टों हेतु डिमांड प्राप्त करने का निर्धारित समय -सप्लाई लोडिंग समय से एक घंटा पूर्व तक।
11. शहरी क्षेत्र में दुग्ध उत्पाद सप्लाई अलग से नियुक्त प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा डिमांड अनुरूप नकद भुगतान आधार पर तय रिटेलर दर पर ही की जावेगी।
मैं उपरोक्त दिशा-निर्देशों को पूर्णतया पढकर एवं समझकर उसके अनुकूल कार्य करना स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर करता हूँ।

(.....)

हस्ताक्षर प्रार्थी

पूर्ण पता.....